

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर म0प्र0

प्र0क0:- /2016 निगरानी

क्रि.सं - 172-88R-16

मोतीलाल पिता बापूलाल उम्र 55 साल जाति-
मीणा धंधा-कृषि निवासी ग्राम-बगनाखेड़ी
तहसील शुजालपुर जिला-शाजापुर म0प्र0
----- निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

1. अनोखीलाल पिता बापूलाल उम्र 50 साल जाति-मीणा धंधा-कृषि निवासी ग्राम-बगनाखेड़ी तहसील शुजालपुर जिला-शाजापुर म0प्र0
2. नानीबाई पति ठाकुर प्रसाद पिता बापूलाल उम्र 60वर्ष जाति-मीणा निवासी ग्राम-पारदाखेड़ी तहसील कालापीपल जिला-शाजापुर म0प्र0
3. सोरत बाई पति कुंवर जी पुत्री बापूलाल उम्र 45वर्ष जाति-मीणा निवासी ग्राम-झागरिया तहसील श्यामपुर जिला-सीहोर म0प्र0
4. म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी महोदय, ग्राम-बगनाखेड़ी तहसील शुजालपुर जिला-शाजापुर ---- निगरानीग्रहिता/विपक्षी

श्री आलोक शारदा अग्रवाल
द्वारा उक्त प्रकरण पर
दिनांक 31-5-16 को प्रस्तुत।

[Signature]
31-5-16

[Signature]
31-5-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

प्रकरण क्रमांक 19 अपील/2014-15 अनुविभागीय अधिकारी महोदय, शुजालपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमान गिरीश मिश्रा सा. द्वारा पारित आवेश दिनांक-
05.04.2016 से असन्तुष्ट एवं व्यथित होकर

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से सविनय निवेदन सादर प्रस्तुत है:-

[Signature]

मोतीलाल

[Signature]


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

29

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1772-पीबीआर/16

जिला - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पदाधिकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शास्त्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>